<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 16.06.2024</u>

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार.–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–184/24, धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संदीप पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 09.05.2024 को थाना इटियाथोक क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना इटियाथोक में लिखित तहरीर दी कि उनकी बहन आम के बगीचे में गयी थी और अभी तक घर वापस नही आयी है। वादी की तहरीर पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 राजेश यादव को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 16.06.2024 को थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त संदीप पाण्डेय को रेलवे स्टेशन जाने वाले बाजार रास्ते (इटियाथोक) से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. संदीप पाण्डेय पुत्र श्यामसुन्दर पाण्डेय नि0 ग्राम महादेव खुर्द थाना ढेबरूवा जनपद सिद्धार्थनगर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–184/24, धारा 363,366 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 राजेश यादव।
02. का0 आदित्य राय।
03. म0का0 मोनिका देवी।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 16.06.2024

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–282/24, धारा 363,366,376(2)एन भादवि व 5एल/6 पॉक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुनील राजभर को कस्बा तरबगंज से ग्राम सेझिया जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.06.2024 को थाना तरबगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी सुनील राजभर उनही नाबालिग बहन को बहला–फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना तरबगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 व0उ0नि0 कुबेर तिवारी को सुपुर्द की गयी थी। आज दिनांक 16.06.2024 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त सुनील राजभर को कस्बा तरबगंज से ग्राम सेझिया जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुनील राजभर पुत्र दुखहरण नि0 ग्राम परसोहना कॉलोनी पोस्ट मटेहीकला थाना मोतीपुर जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–282/24, धारा 363,366,376(2)एन भादवि व 5एल/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 कुबेर तिवारी।
02. प्र0शिक्षु उ0नि0 गौरव सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.06.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये गए विशेष अभियान, 30 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न मा0न्यायालय से लम्बित गैर जमानतीय वारण्टी/वांछित अभियुक्तों को विशेष अभियान चला कर अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को कड़े निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 16.06.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो ने थाना स्तर पर टीमों का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें समस्त थानों से कुल 30 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिनका विवरण निम्न है– थाना खरगूपुर पुलिस ने 05, थाना इटियाथोक पुलिस ने 03, थाना धानेपुर पुलिस ने 02, थाना खोड़ारे पुलिस ने 03, थाना तरबगंज पुलिस ने 05, थाना वजीरगंज पुलिस ने 01, थाना नवाबगंज पुलिस ने 01, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 02, थाना कर्नलगंज पुलिस ने 06 व परसपुर 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.06.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में पुलिस लाइन स्थित सभागार में नए कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों व उसकी उपयोगिता के विषय में आयोजित की गई कार्यशाला-

गोण्डा। आज दिनांक 16.06.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस लाइन गोण्डा सभागार कक्ष में अभियोजन अधिकारियों द्वारा जनपदीय पुलिस को केन्द्र सरकार के द्वारा संशोधित नए कानूनों के विषय में वर्कशॉप आयोजित कर नए कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों व उसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से प्रशिक्षित किया गया।

महोदय द्वारा बताया गया कि नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधि0 2023) एक जुलाई से लागू हो रहे है। इन नए कानूनों के लागू होने से अपराध एव अपराधियों पर और प्रभावी ढंग से शिंकजा कसा जा सकेगा। 30 जून तक सभी पुलिस कार्यवाही पूर्व से लागू आईपीसी, सीआरपीसी व साक्ष्य अधि0 के अनुसार ही की जाएगी। इन तीन नए प्रमुख कानूनों का उद्देश्य दंड देने की बजाय न्याय देना है। नए कानूनों में फोरेंसिक साक्ष्य संकलन और फारेसिंक लैब की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है तथा इन कानूनों में ई-रिकार्ड का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत जीरो एफ0आई0आर0, ई0 एफ0आई0आर0 व चार्जशीट डिजिटल होगे। 07 साल या उससे अधिक की सजा वाले गंभीर अपराधों में फारेसिक टीम द्वारा विज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही को अनिवार्य किया गया है। थाने से कोर्ट तक की सभी प्रक्रिया आनलाइन होगी।

इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, अभियोजन अधि0, चौकी प्रभारी सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.06.2024

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बकरीद त्यौहार दृष्टिगत थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत पुलिस एवं पी0ए0सी0 बल के साथ किया गया रूटमार्च, त्यौहार में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की गयी अपीलः–

त्यौहार में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने की दी चेतावनी–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा बकरीद त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने हेतु थाना को0 नगर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल व पी0ए0सी0 के जवानों के साथ रूटमार्च किया गया। महोदय द्वारा संभ्रांत व्यक्तियों/धर्म गुरुओं से वार्ताकर त्यौहार के संबंध में शासन के द्वारा जारी गाइडलाइनों से सभी को अवगत कराया गया तथा सभी से आपसी भाईचारा, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने व शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाने की अपील की गई साथ ही बताया गया कि बिना अनुमति के कोई भी जुलूस यात्रा नहीं निकाला जाएगा। खुले स्थानों में कुर्बानी नही दी जायेगी तथा नमाज मस्जिद के अन्दर ही पढी जायेगी। त्योहारों में कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। त्यौहार परंपरागत रूप से शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। त्योहारों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों पर कठोरतम कार्यवाही की जायगी। महोदय द्वारा बताया गया कि त्यौहार में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए है पुलिस लोगों की सुरक्षा हेतु सजग एवं कटिबद्ध है, त्योहारों को आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन/कार्यक्रम नहीं किए जायेगें। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर/पीए सिस्टम की ध्वनि माननीय उच्च न्यायालय के गाइडलाइंस के अनुसार कम कर ली जाए। महोदय द्वारा बताया गया कि अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों को और अधिक सक्रिय कर दिया गया है कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिवटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है तथा आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। किसी के द्वारा त्यौहार में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गयी तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा प्रभारी यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया कि है कि भारी वाहन शहर या भीड़ भाड़ वाले इलाको मे प्रवेश न हो तथा भीड़भाड़ वाले रास्तों का डायवर्जन जरूर करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।